Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Vol. 3, No. 6, July-August 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकनः दुर्ग जिले के किसानों की आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में

डॉ. आकाश वासनीकर[1], योगेश्वर प्रसाद[2]

[1] *सहायक प्राध्यापक, शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंडागांव, छत्तीसगढ़*

[2] शोधार्थी, शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंडागांव, छत्तीसगढ़

सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जहां की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। ऐसे मे किसनों की आय, आर्थिक सुरक्षा एवं स्थिरता और जोखिम से जुड़ी नीतियाँ देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (च्डथ्ठल) वर्ष 2016 मे किसानो की फसल क्षति को कम करने एवं आय सुरक्षा के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाए जैसे– सूखा, अतिवृष्ठ, ओलावृष्ठ, कीट प्रकोप आदि जैसे परिस्थितियों मे किसानों को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान कर उनके जीवन और कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करना हैं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले मे प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रभाव को दिखाना हैं। और यह स्पष्ट करना है कि कृषको द्वारा च्डथ्ठल अपनाने के बाद उनके फसल नुकसान कि क्षतिपूर्ति कितना और कैसे प्राप्त होती है, एवं किसानो को प्राप्त आर्थिक सुरक्षा कहा तक होती हैं। यह अध्ययन शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्राथमिक व द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है। कृषि मे जोखिम प्रबंधन किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योकि यह राज्य कि लगभग 70% आबादी के लिए फायदे का जरिया हैं। यह योजना देश के हर राज्य के किसानो के लिए आवश्यक है, जो कृषि से जुड़े हैं। इस शोध के लिए शोधर्थी ने प्रश्नावली को इस प्रकार तैयार किया गया हैं कि जो आंकड़े लिए है, उससे क्षतिपूर्ति, आय स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा एवं जागरूकता/भागीदारी का अध्ययन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होगा की कृषि कार्य मे लगे किसानों को यह योजना किस प्रकार, कितना एवं कहा तक सुरक्षा पहुचती है। जिससे कृषि कार्यो मे सुरक्षा, रोजगार की स्थिति एवं ग्रामीण विकास की सही स्थिति प्रकट होगी।

मुख्य शब्दः कृषि, फसल बीमा, क्षतिपूर्ति, आर्थिक सुरक्षा।

प्रस्तावनाः– कृषि मानव सभ्यता की बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और आज भी भारत की लगभग 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, ग्रामीण इलाको में रहने वाले लोगो की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। कृषि ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य सहारा ही नहीं यह किसानो और ग्रामीण विकास का मुख्य आधार भी है। भारत में कृषि का इतिहास मनुष्य के विकास से हुआ है., यह आज भी विकासशील देशो में जीवन यापन का मुख्य साधन है।.कृषि का क्षेत्र न केवन भूमि से फसल उगाने तक सीमित है बल्कि कृषि में पशु पालन, बागवानी, मछली पालन और बहुत से प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। कृषि न केवल देश को भोजन देती है बल्कि इससे

कच्चे माल की आपूर्ति व रोजगार भी देती है। यह न केवल देश की प्रगति के लिए आवश्यक है. बल्कि इससे ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। जब कभी जलवायु परिवर्तन होता है तो बहुत सी समस्याए सामने आती है जैसे. कम वर्षा, अधिक वर्षा, बाढ़, बिजली गिरना, कीड़े लगाना, बाजारों की अस्थिरता जिससे किसानो की आर्थिक सुरक्षा, आय में अस्थिरता आ जाती है, इन सभी समस्याओं और कृषि से जुड़े कृषको की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना एक समाधान प्रस्तुत करती है। फसल बीमा योजना एक वित्तीय सुरक्षा है जो कृषको को प्राकृतिक आपदाए, फसल की विफलता और अन्य अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती है। फसल बीमा का प्रमुख उद्देश्य किसानो को और उनकी फसलो को सुरक्षा देना है ताकि वे किसी भी स्थिति में समस्याओं से ऊपर उठ सके। फसल बीमा किसानो को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी कृषि कार्यो को निरंतर जारी रखता है। इस प्रकार कह सकते है, की कृषि का महत्त्व न केवल आर्थिक रूप से है बल्कि सभी क्षेत्रो के लिए आवश्यक है।

फसल बीमा योजना का इतिहास (History of the Crop Insurance Scheme)

मानव जीवन का मुख्य आधार कृषि है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। और फसल बीमा की अवधारण भी उतनी ही पुरानी है। ग्रीस, रोम और चीन जैसे सभ्यताओं मे प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के लिए बहोत सी व्यवस्थाए थी। आधुनिक फसल बीमा 19 वीं शताब्दी मे जर्मनी से शुरू हुई, यहाँ किसानों को आपदाओ के सुरक्षा के लिए फसल बीमा को लागू किया। 1930 के दशक मे सयुक्त राज्य अमेरिका ने फसल ओला बीमा और बहु फसल बीमा को लागू किया एवं 1938 में संघीय फसल बीमा कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया।

भारत में फसल बीमा की शुरुआत 20वीं शताब्दी से हुई। वर्ष 1915 मे मैसूर राज्य के जे. एस. चक्रवर्ती ने वर्षा बीमा का प्रस्ताव रखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1947 मे राष्ट्रीय स्तर पर फसल बीमा पर बहुत सी चर्चाए हुई। 1972–73 में P4 योजना सर्वप्रथम गुजरात मे कपास पर लागू किया।

फसल बीमा को संस्थागत रूप देने में प्रो.वी.एम. दांडेकर का योगदान उल्लेखनीय रहा, जिन्हें भारत में फसल बीमा का जनक माना जाता है। उन्होंने "समान क्षेत्र दृष्टिकोण " की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना लागू की गई। इसे अल्पकालिक कृषि ऋण से जोड़ा गया और इसमें राज्य सरकारों की भागीदारी अनिवार्य की गई। इसके बाद क्रमशः–

- 1997–98 में प्रयोगात्मक फसल बीमा योजना
- 1999–2000 मे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
- 2003 मे राष्ट्रीय कृषि बीमा
- 2007 मे मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना
- 2010–11 मे संशोधित फसल बीमा योजना
- 2016 मे एकीकृत पैकेज बीमा योजना लागू किया गया।

कृषि मे बढ़ती समस्याओं एवं पुरानी बीमा योजन (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना) को नया रूप देते हुये 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ;च्डथ्ठल्द्ध को लागू किया गया। यह मुख्य रूप से खरीफ 2016 सीजन से लागू की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं एवं कीटो और बीमारियों के कारण फसल खराब होने वाले नुकसान के लिए किसानो को बीमा कवर एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह एक राष्ट्र–एक योजना' की अवधारणा के अनुरूप तैयार किया गया है।

उद्देश्यः प्राकृतिक आपदाओ, कीटों और बीमारियों से फसल को नुकसान होने पर वित्तीय सुरक्षा देना।

प्रीमियमः खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक ६ बागवानी फसलों के लिए 5% एक समान प्रीमियम दर।

कवरेजः बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक का जोखिम कवर।

यह योजना पुरानी फसल बीमा योजनाओं का स्थान लेकर किसानों को अधिक पारदर्शी और सरल बीमा सुविधा उपलब्ध कराती है। योजना न केवल प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता और किसानो की आय सुरक्षा का प्रमुख कारण हैं।

साहित्य की समीक्षा (Literature Review)

शर्मा, सुधीर कुमार,(2023), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन,(जीवजी विश्वविद्यालाय ग्वालियर म. प्र.)– सुधीर कुमार शर्मा ने अपने शोध में ग्वालियर जिला के 4 विकास खंड के ग्रामो से 225 किसानों को लिया है। अध्ययन से निष्कर्ष रूप मे सामने आया की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन सभी किसानों के लिए अनिवार्य है, जो ऋण लेते हैं और जो किसान ऋण नहीं लेते है उनके लिए यह योजना अनिवार्य नहीं है। योजना मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाए जैसे– बाढ़, सूखा, बिजली, अत्यधिक वर्षा, कीटो का लगना आदि बहुत से जोखिमो से सुरक्षा प्रदान करती हैं। योजना किसानो को मुख्य रूप से आर्थिक सहायता के लिए व फसलों को सुरक्षित करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना में ग्वालियर जिला के किसानों में लगभग 47% किसान सम्मिलित है। लाभान्वित किसान लगभग 41% है । निष्कर्ष रूप मे कह सकते हैं की योजना की जागरूकता बहोत ही कम है, जिसके लिए योजना का प्रचार– प्रसार की आवश्यकता है, किसानो को इसकी जानकारी दिया जाए जिससे अधिक से अधिक किसान इस योजना सामिल हो सके और इसका लाभ उठा सके।

Sheoran, Vandana, (2024), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana In Haryana: Socio-Economic Analysis, (Chaudhary Devi Lal University, Haryana)- यह शोध शोधार्थी ने हरयाणा राज्य के कैथल, हिसार एवं झज्जर जिले में किया और अध्ययन मे पाया की योजना की जागरूकता के केस मे 51–60 वर्ष की आयु के भीतर में अधिक साद्रता पाई हैं। कैथल मे 97% हिसार मे 54% एवं झज्जर मे 94% किसानो को इस योजना के बारे मे जानकारी थी। स्थानीय संदर्भ में पाया गया की इस योजना के बारे में बहोत से किसान अभी भी इस योजना से दूर है और इसका लाभ नहीं ले पा रहे है। मुख्य रूप से योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एवं सभी किसानो को इसमे शामिल करने के लिए सरकार को कुछ नीतिगत कदम उठाने चाहिए एवं इस योजना को सभी किसानो पर समान रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए जिससे योजना का लाभ सभी किसान ले सके।

Jiragal, Imrankhan, (2023), Impact Of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana On Livelihood Security Of Farmers (University Of Agricultural Sciences, Bangalore)%& इमरान खान जिरगल ने अपने शोध में किसानो की आजीविका सुरक्षा पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभाव कर्नाटक के कोलर जिला में किया है.। संग्रहित आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कोलर जिले में अभी भी बहुत से किसानों को योजना के बारे में जानकारी नहीं है एवं लाभ नहीं ले पा् रहे है, इसलिए आवश्यक है कि सरकार इस योजना का लाभ प्रत्येक किसान तक पहुँचाए ताकि कृषि कार्य में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।. प्रधानमंत्री फसल बीमा

योजना में कुछ समस्याए है, मुख्य रूप से दावो में देरी, अपर्याप्त मुवावजा, बीमा संस्थाओ द्वारा सही जानकारी न देना इसके आलावा बहुत से समस्याएं है जिनको सरकार को जल्द से दूर करने चाहिए ताकि इस योजना का महत्व किसानो को समझ आए। जिससे किसानों को कृषि कार्य में सहायता मिले, सुरक्षा प्राप्त हो और योजना अधिक प्रभावी बना सके।

Meena, S. K., Wakle, P. K., More, S. D., Badhala, B. S., & Meena, D. K. (2022). Knowledge and attitude of farmers towards Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). ***Asian Journal of Agricultural Extension Economics & Sociology*-** शोधार्थी सुनील कुमार के अध्ययन के अनुसार अधिकांश उत्तरदाता योजना के बारे में मध्यम स्तर का ज्ञान रखते थे (72.50:), जबकि उच्च स्तर के 11.67: और निम्न स्तर के 15.83: थे। लगभग सभी (100:) किसानों को योजना की जानकारी थी और 75: उत्तरदाताओं ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऋणी किसानों की हिस्सेदारी लगभग 25.83: थी, और 75: किसानों ने बताया कि प्रीमियम दावों का भुगतान तीन महीने में प्राप्त हो जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश किसानों का PMFBY के प्रति ज्ञान अच्छा है, लाभार्थी किसानों का दृष्टिकोण अनुकूल है, और योजना की जानकारी लगभग सभी किसानों के बीच उपलब्ध है। इस प्रकार यह योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हुई है, जिससे वे आर्थिक और फसल संबंधी जोखिमों से सुरक्षित रहते हैं और अपनी कृषि गतिविधियों को निरंतर बढ़ा सकते हैं।

Keerthi Kumar, S. M., & Kumari, D. S. S. (2025*). Crop insurance in India and its impact on crop income: Insights from pigeon pea farmers. Journal of Agricultural Development and Policy* - शोधार्थी किर्थिकुमार एस.एम. ने भारत में फसल बीमा और इसके किसानों की आय पर प्रभाव का अध्ययन किया, जो मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर आधारित था। अध्ययन में पाया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और ;त्ॅठब्प्ैद्ध आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत बीमित क्षेत्र हर वर्ष घट रहा है, जो सभी किसानों के लिए हानिकारक है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सभी किसानों और कृषि क्षेत्रों को बीमित क्षेत्र में शामिल करना है, लेकिन यह लक्ष्य धीरे–धीरे कमजोर होता जा रहा है। किसानों की आय के अध्ययन से यह भी पता चला कि बीमित किसानों की औसत फसल आय और कुल आय में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। फसल बीमा में भागीदारी बढ़ाने और अधिक किसानों को जोड़ने के लिए गाँव स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और किसानों की शिकायतों का सीधा समाधान करना आवश्यक है। साथ ही वर्षा आधारित क्षेत्रों में सीमांत और छोटे किसानों के लिए प्रीमियम की पूरी राशि पर सब्सिडी देने से योजना में समावेशन और अधिक बढ़ सकता है।

Venkatesh, G. (2008). ***Crop Insurance in India – A Study. The Journal*, January–June 2008, 15–17. Mumbai: Insurance Institute of India -** शोधार्थी जी. वेंकटेश ने भारत में फसल बीमा पर अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद कई योजनाएँ चलाई गईं, ताकि किसानों की फसलों की सुरक्षा, जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना फसल बीमा है, जो किसानों को प्राकृतिक जोखिमों जैसे अधिक वर्षा, सूखा, बिजली गिरना, ओला वृष्टि और कीटों के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना ऋणी किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध है, जबकि गैर–ऋणी किसानों को इसके बारे में कम जानकारी होती है। वर्तमान में योजना किसानों को

प्राकृतिक जोखिमों से आंशिक सुरक्षा देती है, लेकिन कई किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता या प्राप्त राशि केवल उनके ऋण के बराबर होती है। इन जानकारियों के आधार पर कहा जा सकता है कि फसल बीमा योजना को और व्यापक बनाया जाए, क्लेम राशि बढ़ाई जाए और

सभी किसानों तक इसके लाभ और जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

शोध अंतराल (Research gap)- फसल बीमा योजना के ऊपर पहले भी कई शोध कार्य किए जा चुके है, फिर भी कुछ क्षेत्रों मे अभी भी शोध कार्य की आवश्यकता महासूस की जा सकती है। अधिकतर शोध या अध्ययन केवल इस योजना के लाभार्थियो की संख्या, दावों की प्रक्रिया, योजना के क्रियान्वयन एवं योजन का सीमांत किसानो पर प्रभाव, सामाजिक आर्थिक प्रभाव तक ही सीमित रहा है। किसानो की वास्तविक समस्याएँ जैसे की बीमा के प्रति जागरूकता की कमी, आर्थिक सुरक्षा, दावा प्रक्रिया मे देरी, पारदर्शिता की कमी, किसानो पर इसका प्रभाव और क्षति मूल्यांकन मे असमानता जैसे विभिन्न मुद्दो पर अपेक्षाकृत बहुत ही कम ध्यान दिया गया है।यह शोध इन अपेक्षित पहलुओं की पहचान कर उसके समाधान हेतु साक्ष्य–आधारित सुझाव प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार, यह अनुसंधान वर्तमान शोध मे मौजूदा कमियों को कम या भरने का प्रयास करेगा

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)-

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी किसानों की भागीदारी और जागरूकता के स्तर का आकलन करना ।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद किसानों को प्राप्त बीमा क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन करना।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के पश्चात किसानों की आर्थिक सुरक्षा में आए परिवर्तनों का अध्ययन।

शोध की परिकल्पना–

परिकल्पना–1

H_{0_1}**(शून्य परिकल्पना**)– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी किसानों की भागीदारी और जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

H_{1_1}**(वैकल्पिक परिकल्पना)**–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी किसानों की भागीदारी और जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतर है।

इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए शोधार्थी द्वारा किसानो से च्डथ्ठल से संबन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारी ली गई है।

परिकल्पना–2

H_{0_2} **(शून्य परिकल्पना**)– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद किसानों को पर्याप्त बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है।

H_{1_2}**(वैकल्पिक परिकल्पना)–** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद किसानों को पर्याप्त बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है।

इस अध्ययन को सिद्ध करने के लिए किसानो द्वारा क्षतिपूर्ति से संबन्धित– (जैसे– बीमा राशि, कृ षि की लागत, दावा मिलने का समय, दावा की पारदर्शिता आदि जानकारी लिया गया है।

परिकल्पना–3

H_{0_3} **(शून्य परिकल्पना)–** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के बाद किसानों की आर्थिक सुरक्षा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

***H_{13}*वैकल्पिक परिकल्पना)–** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के बाद किसानों की आर्थिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

किसानो पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव की स्थिति की जानकारी के लिए किसानो की वार्षिक कृषि आय एवं व्यय,कर्ज की स्थिति, संपत्तियाँ, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा आदि का अध्ययन किया गया।

शोधविधि (Research Methodology)

अध्ययन क्षेत्र (Study Area)– दुर्ग जिले का चुनाव का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ के बीच मे स्थित दुर्ग जिला राज्य के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में से एक है। यह जिला 1 जनवरी 1948 को गठित हुआ और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अस्तित्व मे आया एवं प्रसाशनिक महत्व बढ़ा। दुर्ग जिले की भूमि उपजाऊ है और यहाँ की जलवायु मे मुख्य रूप से धान, गेहूँ, चना' तुअर तथा सब्जियों की खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ अधिक किसान लघु एवं सीमांत वर्ग के हैं, जो वर्षा पर निर्भर रहते हैं। कृषि ही उनकी प्रमुख आजीविका का साधन है। जिले में कृषि जोखिमों जैसे अत्यधिक वर्षा, फसल हानि और बाजार अस्थिरता की समस्याए होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन दुर्ग जिले में विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। जिले मे 2025 की स्थिति मे लगभग 146276 हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि पर कृषि कार्य किए जाते है। जो मुख्य रूप से धान, गेहु, और अन्य फसलों के लिए एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है।

शोध डिजाईन (Research Design)-

इस शोध का मुख्य उद्देश्य फसल बीमा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, विशेषकर किसानों की आर्थिक सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन मे इसकी भूमिका समझाना है। अनुसंधान की प्रक्रिया वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, जिसमे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र का चयन गैर–सम्भाव्यता पद्धति से किया गया है। अकड़ो के संग्रहण के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार और अवलोकन विधियो का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन मे कृषको की बीमा जागरूकता, योजना के प्रति संतुष्टि, दावों की प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया एवं समयबद्धता और बीमा का वास्तविक लाभ जैसे पहलुओं को समाहित किया गया है। सांखिकीय उपकरणो की सहायता से प्राप्त आकड़ों का गहन अध्ययन किया गया ताकि यह निर्धारित किया जा सके की फसल बीमा किसानो को प्राप्त क्षतिपूर्ति, आर्थिक सुरक्षा और कृषि मे स्थायित्व लाने मे कितना प्रभावी है।

नमूने का आकर (Sample Size)

अध्ययन के लिए प्राथमिक आकड़ों के संकलन के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन विधि का उपयोग किया गया है। किसानों की जानकारी एकत्र करने के लिए जनसांखिकीय सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। विषयों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्तमान अध्ययन मे एक का उपयोग किया गया है। दुर्ग जिले मे कुल 3 विकास खंड मे 300 गाँव सम्मिलित है जिसमे से नमूने के रूप मे कुल 152 किसान (लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी) पाटन ब्लाक से लिया गया है।

डेटा संग्रहण का स्त्रोत (Sources of Data Collection)

प्राथमिक डेटा (Primary data)– प्राथमिक आकड़ों से तात्पर्य उन आकड़ों से होता है, जिसे अनुसंधानकर्ता अपने निश्चित उद्देश्य के लिए तथा अपने शोध कार्य मे लाने के लिए पहली बार संकलित करता है। इसको मूल या कच्चा डेटा भी कह सकते है। क्योकि यह किसी अन्य व्यक्ति

या संस्था द्वारा एकत्रित नहीं किया गया होता है बल्कि शोध कर्ता द्वारा एकत्रित किया जाता है। जो साक्षात्कारों के माध्यम से प्रश्नावली भरवाकर, अवलोकन करके,प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से, अनुसूचि भरवाकर, आदि विधियों से एकत्र किया जाता है।

शोधकर्ता ने प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक जानकारी एकत्र किया– जिसमे उसने दुर्ग जिले के पाटन ब्लाक से 152 किसानों की जानकारी ली। इस जानकारी मे शोधार्थी ने जैसे– नाम, पता, उम्र, जाती, शिक्षा, परिवार मे सदस्य, योजना से जुड़े है की नहीं, माह की आय, वर्ष की आय, आदि जानकारी प्राप्त किया।

द्वितीयक डेटा (Secondary data)– द्वितीयक आकड़ों से आशय वह आकड़ों से है जो पहले ही किसी अनुसंधान कर्ता, संस्था, व्यक्ति या अन्य किसी के द्वारा एकत्रित किया जा चुका है। और वर्तमान मे शोधकर्ता उनको अपने प्रयोग मे लाता है। इस संबंध मे शोधकर्ता स्वयं आकड़ों का संकलन नहीं करता वरन किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित समंको का प्रयोग करता है। जैसे– पुस्तके, रिपोर्ट, समाचार पत्र, शोध पत्र, आदि के रूप मे मौजूद है।

अध्ययन से संबन्धित साफ्टवेयर (Study Related Software)–शोध का विश्लेषण मुख्य रूप से माइक्रोसाफ्ट ऐक्सल का प्रयोग करके किया गया है, जो की माइक्रोसाफ्ट द्वारा विकसित एक डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सभी सांखिकीय विश्लेषण करने के लिए किया गया है। जिसमे माध्य, मानक विचलन, प्रमाप विचलन, विचरण, सहसंबंध और गणितीय गणनाएँ शामिल है। इस शोध मे प्रयोग किए जाने वाले सभी सांखिकीय उपकरण अध्ययन के लिए किया गया है, जो की निम्नलिखित है– प्रतिशत, माध्य, प्रमाप विचलन, प्रसरण गुणांक, विचरण, पेयर्ड टी–परीक्षण, सहसंबंध, स्कोर,काई–स्क्वायर ।

अध्ययन की आवश्यकता (Need for study):-

अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि साहित्य के मूल्यांकन के रूप में जैसा कि दिखाया गया है, देश के आर्थिक परिवर्तन के दौरान हुए परिवर्तनों की निगरानी के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण आर्थिक विकास पर फसल बीमा के संबंध और प्रभाव का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। यह शोध न केवल किसानों की आय, व्यय और फसल पैटर्न पर विचार करता है, बल्कि उनके जीवन स्तर और रोजगार के अवसरों पर भी विचार करता है। शोधकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले अन्य लाभार्थियों और हितधारकों को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है।

समंको का विश्लेषण एवं निर्वचन (Analysis and interpretation of data)

परिकल्पना परीक्षणk (Hypothesis testing)

परिकल्पना–1

H_{0_1} **(शून्य परिकल्पना)**–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी किसानों की भागीदारी और जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

H_{1_1}**(वैकल्पिक परिकल्पना)–**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी किसानों की भागीदारी और जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतर है।

प्रश्न.–क्या आपको लगता है कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसान, गैर.लाभार्थियों की तुलना में अधिक लाभान्वित और जागरूक हैंघ्

टेबल नंबर 1

क्रमांक	विवरण	किसानों की संख्या	प्रतिशत (:)
1	हाँ	134	88.2

2	नहीं	18	11.8
कुल		152	100

स्रोत–स्व गणना

उपलब्ध आंकड़े संकेत देते हैं की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल कुल 152 किसानों मे से लगभग 88.2: किसानों ने उत्तर दिया की लाभार्थी किसान गैर लाभार्थी किसान की तुलना मे अधिक लाभान्वित व जागरूक हैं। एवं लगभग 11.8: किसानो ने इस पर अपनी सहमति नहीं दिया। जिसके कारण ये किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है।

χ^2 परीक्षण (अच्छाई के अनुरूपता परीक्षण)

टेबल नंबर 2

श्रेणी	**वास्तविक आवृत्ति O_i**	**अपेक्षित आवृत्ति $E_i = \frac{N}{2} = 76$**	$\frac{O_i - E_i}{E}$
हाँ	134	76	44.26
नहीं	18	76	44.26
योग	152	152	χ^2 =88.52

गणना $\chi 2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E} = \frac{(134-76)^2}{76} + \frac{(18-76)^2}{76}$ =88-52

कि (स्वतन्त्रता की डिग्री) = ी .1 = 2 .1 = 1

तालिका मान

5: स्तर (α = 0.05) पर, कि= 1 के लिए χ^2 = 3.84

1: स्तर (α = 0.01) पर, कि= 1 के लिए χ^2 = 6.63

चूँकि $\chi 2$=88.52>3.84 बहुत ही छोटी है, इसलिए H_0 अस्वीकार कर दी जाती है।

निष्कर्ष– χ^2 = 88.52, जो 3.84 और 6.36 दोनों से बहुत ही अधिक है। अत: H_0 अस्वीकृत किया जाता है। इसका अर्थ यह है की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसान, गैर. लाभार्थियों की तुलना में अधिक लाभान्वित और जागरूक है जो की लगभग 88.20: हैं।

परिकल्पना–2

H_{0_2} **(शून्य परिकल्पना)**– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद किसानों को पर्याप्त बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है।

H_{1_2}**(वैकल्पिक परिकल्पना)–** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद किसानों को पर्याप्त बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है।

प्रश्न.–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली वार्षिक क्षतिपूर्ति का अध्ययन?

टेबल नंबर 3

वार्षिक क्षतिपूर्ति	**आवृत्ती**	**प्रतिशत**	**मान्य प्रतिशत**	**संचयी प्रतिशत**
0&5000	27	17-76	17-76	17-76
50001&0000	16	10-53	10-53	28-29
10000&20000	37	24-34	24-34	52-63
20000&40000	53	34-87	34-87	87-50

40000&80000	11	7-24	7-24	94-74
80000&160000	5	3-29	3-29	98-03
160000&320000	3	1-97	1-97	100-00
	152	100-00	100-00	

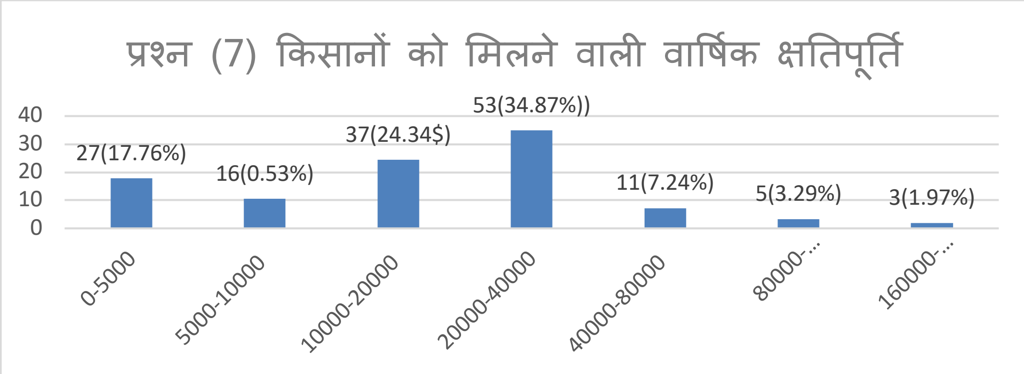

माध्य (Mean)	27,808-55 (लगभग ₹27,809)
विचरण (Variance)	1,442,300,075
मानक विचलन (Standard Deviation)	37,977 (लगभग ₹38,000)

स्रोत–स्व गणना

वार्षिक क्षतिपूर्ति का औसत ₹ 27,809 तथा मानक विचलन ₹ 37,977 प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसानों के बीच क्षतिपूर्ति वितरण में पर्याप्त असमानता है। अधिकांश किसानों को मध्यम श्रेणी की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई जबकि कुछ किसानों को बहुत ही अधिक राशि मिली।

प्रश्न.–क्या आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिली क्षतिपूर्ति राशि आपके वास्तविक फसल नुकसान की भरपाई करने में पर्याप्त थी.

टेबल नंबर 4

क्रमांक	**विवरण**	**किसानों की संख्या**	**प्रतिशत (%)**
1	हाँ	116	76-32
2	नहीं	36	23-68
कुल		152	100

स्रोत–स्व गणना

उपरोक्त आकड़ों के आधार पर कह सकते है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लगभग 116 (76. 32%) किसानो को किसी आपदा के समय मिली क्षतिपूर्ति. उनके वास्तविक फसल नुकसान की भरपाई करने मे पर्याप्त है जबकि 23.68% किसानो को यह क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं लगी है।

χ^2 परीक्षण (अच्छाई के अनुरूपता परीक्षण)

टेबल नंबर 5

श्रेणी	**वास्तविक आवृत्ति O_i**	**अपेक्षित आवृत्ति $E_i=\frac{N}{2}=76$**	$\frac{O_i - E_i}{E}$
हाँ	116	76	21.05
नहीं	36	76	21.05
योग	152	152	$\chi^2=42.1$

गणना $\chi 2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E} = \frac{(116-76)^2}{76} + \frac{(36-76)^2}{76} = 42\text{-}1$

df (स्वतन्त्रता की डिग्री) = Ↄ .1 = 2 .1 = 1

तालिका मान

5: स्तर (α = 0.05) पर, कf= 1 के लिए χ^2 = 3.84

1: स्तर (α = 0.01) पर, कf= 1 के लिए χ^2 = 6.63

चूँकि χ_2=42.1>3.84 बहुत ही छोटी है, इसलिए H_0 अस्वीकार कर दी जाती है।

निष्कर्ष–χ^2 = 68.46, जो कि 3.84 और 6.63 दोनों से कहीं अधिक है। अतः H_0 अस्वीकार होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) द्वारा किसानो को किसी आपदा के समय मिली क्षतिपूर्ति राशि, वास्तविक फसल नुकसान की भरपाई करने मे पर्याप्त ''है'' और ''नहीं'' के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। अर्थात अधिकांश किसानो को प्राप्त क्षतिपूर्ति पर्याप्त लगी हैं।

परिकल्पना–3

H_{0_3} **(शून्य परिकल्पना)–** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के बाद किसानों की आर्थिक सुरक्षा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

H_{1_3}**वैकल्पिक परिकल्पना)–** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के बाद किसानों की आर्थिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

प्रश्न.–क्या योजना के कारण आपकी खेती से जुड़ी किसी आपदा के समय आपकी आर्थिक जोखिम कम हुआ हैद्य

टेबल नंबर 6

क्रमांक	विवरण	किसानों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	हाँ	127	83.6
2	नहीं	25	16.4
कुल		152	100

स्रोत–स्व गणना

समस्त तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल कुल 152 किसानो में से 83.6% किसानों ने यह स्वीकार किया कि योजना के कारण किसी संकट या प्रकृतिक आपदा के समय उनकी आर्थिक जोखिम कम हुआ। वही 16.4% किसानों ने बताया कि उनके जोखिम मे कमी नहीं आई है।

χ^2 परीक्षण (अच्छाई के अनुरूपता परीक्षण)

टेबल नंबर 7

क्रमांक	श्रेणी	वास्तविक आवृत्ति O_i	अपेक्षित आवृत्ति $E_i=\frac{N}{2}$=76	$\frac{O_i - E_i}{E}$
1	हाँ	127	76	34.22
2	नहीं	127	76	34.22
कुल		152	152	68.44

χ^2 का सूत्र $-\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E}$

χ^2 परीक्षण की गणना

हाँ: $= \frac{(127-76)^2}{76} = \frac{51^2}{76} = \frac{2601}{76} = 34.23$

नहीं $= \frac{(25-76)^2}{76} = \frac{-51^2}{76} = \frac{2601}{76} = 34.23$

कुल χ^2 = 34.23. 34.23 = 68.46.

स्वतंत्रता की डिग्री (df) = (n−1) = (2−1) = 1

तालिका मान (χ^2 क्रिटिकल)

α = 0.05 (5% level) पर, df = 1 के लिए χ^2 = 3.84

α = 0.01 (1% level) पर, df = 1 के लिए χ^2 = 6.63

चूँकि $\chi 2$=68.46>3.84 बहुत ही छोटी है, इसलिए H_0 अस्वीकार कर दी जाती है।

निष्कर्ष–χ^2 = 68.46, जो कि 3.84 और 6.63 दोनों से कहीं अधिक है। अतः H_0 अस्वीकार होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) द्वारा किसी आपदा के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में ''हाँ'' और ''नहीं'' के बीच अत्यधिक महत्वपूर्ण अंतर है। अर्थात अधिकांश लाभार्थियों को वास्तविक वित्तीय सुरक्षा मिली है।

प्रश्न– क्या PMFBY के अंतर्गत बीमा क्षतिपूर्ति मिलने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ?

टेबल नंबर 8

क्रमांक	विवरण	किसानों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	हाँ	129	84.87
2	नहीं`	23	15.13
कुल		152	100

स्रोत–स्व गणना

सर्वेक्षण के प्राप्त आंकड़ों से यह परिलक्षित होता है कि 152 लाभार्थियों में से 84.9% का मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं 15.1% लाभार्थियों को कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं मिला है।

यह आँकड़ा दर्शाता है कि योजना का लाभ अधिकांश किसानों तक पहुँचा है और उनके आर्थिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालांकि, कुछ किसानों को अभी भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है, जिसे सुधार की दृष्टि से देखा जा सकता है।

χ^2 परीक्षण (अच्छाई के अनुरूपता परीक्षण)

टेबल नंबर 9

श्रेणी	वास्तविक आवृत्ति O_i	अपेक्षित आवृत्ति $E_i = \frac{N}{2} = 76$	$\frac{O_i - E_i}{E}$
हाँ	129	76	73.92
नहीं	23	76	73.92

योग	152	152	$\chi^2 = 73.92$

गणना $\chi 2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E} = \frac{(129-76)^2}{76} + \frac{(23-76)^2}{76} = 73.92$

df (स्वतन्त्रता की डिग्री) = r -1 = 2 - 1 = 1

तालिका मान (χ^2 क्रिटिकल)

$\alpha = 0.05$ (5% level) पर, df = 1 के लिए $\chi^2 = 3.84$

$\alpha = 0.01$ (1% level) पर, df = 1 के लिए $\chi^2 = 6.63$

निष्कर्ष–$\chi^2 = 73.92$, जो कि 3.84 और 6.63 दोनों से कहीं अधिक है। अतः H_0 अस्वीकार होता है। PMFBY के 152 लाभार्थियों में "आर्थिक सुधार हुआ" (84.9 %) और "नहीं हुआ" (15.1 %) के अनुपात में जो अंतर देखा गया, वह आकस्मिक नहीं है बल्कि सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक सार्थक है ($p < 0.001$)। इससे संकेत मिलता है कि इस नमूने में योजना ने उल्लेखनीय आर्थिक सुधार दिये हैं, लाभार्थियों का अनुपात "है" श्रेणी में अपेक्षित समान वितरण की तुलना में बहुत अधिक है।

खोज (finding)

1. सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश किसान मुख्य रूप से कृषि कार्य में संलग्न हैं तथा उनके पास 1 से 5 एकड़ तक की कृषि भूमि है। यह वर्ग लगभग 68.4% है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीमांत एवं लघु कृषक वर्ग की संख्या सर्वाधिक है।
2. योजना की जानकारी के संदर्भ में 88.2% किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी थी।
3. उपलब्ध आंकड़े संकेत देते हैं की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल कुल 152 किसानों मे से लगभग 88.2% किसानों ने उत्तर दिया की लाभार्थी किसान, गैर लाभार्थी किसान की तुलना मे अधिक लाभान्वित व जागरूक हैं। एवं लगभग 11.8% किसानो ने इस पर अपनी सहमति नहीं दिया। जिसके कारण ये किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है।
4. वार्षिक क्षतिपूर्ति का औसत ₹ 27,809 तथा मानक विचलन ₹ 37,977 प्राप्त हुए जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसानों के बीच क्षतिपूर्ति वितरण में असमानता है। अधिकांश किसानों को मध्यम श्रेणी की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई जबकि कुछ किसानों को बहुत ही अधिक राशि।
5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 116 (76.32%) किसानो को किसी आपदा के समय मिली क्षतिपूर्ति. उनके वास्तविक फसल नुकसान की भरपाई करने मे पर्याप्त है जबकि 23.68% किसानो को यह क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं लगी है।
6. समस्त तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल कुल 152 किसानो में से 83.6% किसानो ने यह स्वीकार किया कि योजना के कारण किसी संकट या प्रकृतिक आपदा के समय उनकी आर्थिक जोखिम कम हुआ। वही 16.4% लाभार्थियों ने बताया कि उनके जोखिम मे की कमी नहीं आई है।
7. सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से यह परिलक्षित होता है कि 152 लाभार्थियों में से 84.9% का मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं 15.1% लाभार्थियों को कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं मिला है।

8. लगभग 83.6% किसानों ने यह स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आपदा के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है।
9. 81.6% किसानों ने बताया कि फसल नुकसान होने की स्थिति में उन्हें समय पर मुआवजा राशि प्राप्त हुई।
10. 79.6% किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के बाद उन्हें सुरक्षा का अनुभव हुआ।

निष्कर्ष (Conclusion)–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारतीय कृषि क्षेत्र में किसानों की आय सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोग जनित नुकसान तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

अध्ययन और क्षेत्रीय अनुभवों से स्पष्ट होता है कि इस योजना ने किसानों में आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज, दावों का समय पर निपटान और फसल सुरक्षा का आश्वासन किसानों के लिए केवल वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इसे मानसिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता का साधन भी माना है। इससे किसानों में जोखिम सहनशीलता और कृषि व्यवसाय में दीर्घकालिक निवेश की प्रवृत्ति बढ़ी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने भारतीय कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और मानसिक संतोष प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना न केवल किसानों के जोखिम को कम करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और कृषि गतिविधियों में सतत निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि जागरूकता, पारदर्शिता, समय पर दावों का निपटान और प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी को निरंतर मजबूत किया जाए।यदि इन सुधारों और प्रोत्साहनों को लागू किया जाए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारतीय कृषि के लिए एक स्थायी और विश्वसनीय वित्तीय सुरक्षा तंत्र के रूप में विकसित हो सकती है। यह योजना न केवल वर्तमान में किसानों की रक्षा करती है, बल्कि भविष्य में कृषि उत्पादन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में भी सहायक होगी।

सुझाव (Suggestions)–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं

1. अध्ययन से स्पष्ट है कि कई किसान योजना से अनभिज्ञ हैं। अतः ग्राम पंचायत, कृषि विभाग एवं बैंक संयुक्त रूप से नियमित जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सूचना अभियान आयोजित करें, ताकि अधिकतम किसान योजना से जुड़ सकें।
2. यद्यपि अधिकांश किसानों को समय पर मुआवजा मिला, फिर भी कई बार तकनीकी त्रुटियों या विलंब की शिकायतें सामने आती हैं। मुआवजा मूल्यांकन की प्रक्रिया में सैटेलाइट सर्वे, ड्रोन मैपिंग और डिजिटल रिपोर्टिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ा सकता है।
3. कई छोटे किसान प्रीमियम राशि को अधिक मानते हैं। अतः सरकार को लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रीमियम में और अधिक अनुदान देने पर विचार करना चाहिए।

4. योजना केवल नुकसान की पूर्ति तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों को दीर्घकालीन आय–सुरक्षा भी प्रदान करे।
5. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित संस्थानों की उत्तरदायित्व प्रणाली को और मजबूत किया जाए। बीमा कंपनियों को दावों का निपटान तय समय–सीमा के भीतर करना चाहिए।
6. ग्राम पंचायत और कृषक समितियों को योजना के स्थानीय क्रियान्वयन और निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।
7. योजना को पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित किया जाए जिससे आवेदन, प्रीमियम जमा, सर्वेक्षण और भुगतान की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से पारदर्शी और तेज बने

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1. शर्मा, सुधीर कुमार, (2023) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन, (जीवजी विश्वविद्यालय ग्वालियर म.प्र.)
2. Sheoran, Vandana,(2024), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana In Haryana: Socio-Economic Analysis, (Chaudhary Devi Lal University, Haryana)
3. Jiragal, Imrankhan, (2023),Impact of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana On Livelihood Security of Farmers (University of Agricultural Sciences, Bangalore
4. Keerthi Kumar, S. M., & Kumari, D. S. S. (2025). *Crop insurance in India and its impact on crop income: Insights from pigeon pea farmers. Journal of Agricultural Development and Policy*, 34(2), 274–279. https://doi.org/10.63066/23220457.34.2.012
5. Venkatesh, G. (2008). *Crop Insurance in India – A Study. The Journal*, January–June 2008, 15–17. Mumbai: Insurance Institute of India
6. Meena, S. K., Wakle, P. K., More, S. D., Badhala, B. S., & Meena, D. K. (2022). Knowledge and attitude of farmers towards Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). *Asian Journal of Agricultural Extension Economics & Sociology, 40*(11), 562–568. https://doi.org/10.9734/AJAEES/2022/v40i111746
7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. (2025). ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना.'' उपलब्धः https://pmfby.gov.in/ 2025
8. Agricultural Insurance Company of India- (2025). ''Evolution of Crop Insurance.'' उपलब्धः https://www.aicofindia.com/evolution-of-crop-insurance 2025,
9. NABARD- (2025). ''मुखपृष्ठ.'' उपलब्धः https://www.nabard.org/Hindi/Default.aspx 2025,
10. eAgri- (2025). ''कृषि अर्थशास्त्र – पाठ 10.'' उपलब्धः http://eagri.org/eagri50/AECO241/lec10.html 2025,
11. Insurance Information Institute- (2025). ''Background on Crop Insurance.'' उपलब्धः https://www.iii.org/article/background-on-crop-insurance 2025,
12. दुर्ग जिला प्रशासन. (2025). ''मुखपृष्ठ.'' उपलब्धः https://durg.gov.in/en/ 2025,
13. छत्तीसगढ़ कृषि विभाग. (2025). ''कृषि पोर्टल.'' उपलब्धः https://agriportal.cg.nic.in/agridept/AgriHi/ 2025,

14. NU (n.d.). *Independent samples*. Retrieved, 2025, from https://resources.nu.edu/statsresources/IndependentSamples
15. Wikipedia. (n.d.). *Chi-squared test*. In *Wikipedia*. Retrieved, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Chi-squared_test
16. Cue math. (n.d.). *Mean – Formula, Meaning, Definition | How to Find Mean?* Retrieved, 2025, from https://www.cuemath.com/data/mean/